RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 05/2025

अपीलांटगण–

1. श्री गंगाराम पुत्र चुतराराम
2. श्री अणदाराम पुत्र चुतराराम जातियान मेघवाल, निवासीयान पंवारों का सरा (पायदा खुर्द), तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक/भू.अ./2021/667 दिनांक 08.11.2021 जो तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 11.06.2025

1. अपीलांटगण की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार सिणधरी के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक/भू.अ./2021/667 दिनांक 08.11.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 03.03.2025 को पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा रामदेवरा वर्तमान राजस्व ग्राम पंवारो का सरा, पटवार हल्का पायलां खुर्द, तहसील–सिणधरी के खेत मूल खसरा संख्या 1 व 5 वर्तमान खसरा संख्या 200/5 रकबा 0.9829 बीघा, 201/5 रकबा 0.9829 बीघा, 202/5 रकबा 0.324 बीघा तथा खसरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

संख्या 203/1 रकबा 0.4611, 202/5 रकबा 0.4612 बीघा के खातेदारान अपीलांटगण ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.11.2024 को तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सहखातेदारों की संयुक्त एंड पैतृक भूमि हैं। इस पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक/भू.अ./2021/667 दिनांक 08.11.2021 पारित किया गया। अपीलांटगण ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.03.2025 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. अपीलांटगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि अपीलांटगण की पैतृक भुमि मौजा रामदेवरा वर्तमान राजस्व ग्राम पंवारो का सरा, पटवार हल्का पायलां खुर्द, तहसील–सिणधरी के खेत मूल खसरा संख्या 1 व 5 वर्तमान खसरा संख्या 200/5 रकबा 0.9829 बीघा, 201/5 रकबा 0.9829 बीघा, 202/5 रकबा 0.324 बीघा तथा खसरा संख्या 203/1 रकबा 0.4611, 202/5 रकबा 0.4612 बीघा, में अवस्थित है। इसमें खातेदारी हिस्सा 1/2 अपीलांट संख्या 01 का व 1/2 हिस्सा अपीलान्ट संख्या 2 का है। जिसमें अपीलांटगण की रहवासी ढाणी, पानी का टांका, मवेशियों का बाड़ा तथा चारे की कराई आदि कदीम से आये हुऐ है। न्याय आपके द्वार अभियान वर्ष 2021 में होने वाले शिविर में पटवारी के द्वारा अपीलांटगण जो सहखातेदार व परिवार के सदस्य है को उनकी संयुक्त खातेदारी का विभाजन कराने का कहा गया, जिस पर अपीलान्टगण ने पटवारी हल्का से सलाह की तो उन्होने बताया कि आप संयुक्त रुप से विभाजन पेश कर दो तो हाथो हाथ विभाजन हो जायेगा, उन्होने यह भी आश्वासन दिया कि मौके कि स्थिति हेतु वह नक्शा तैयार कर तथा ट्रेस में तरमीम मौके

जिला कलक्टर
बालोतरा

पर आकर बाद में पैमाईश कर दी जावेगी। अपीलांटगण ने इस सुविधा तथा पटवारी के आश्वासन पर सहमति प्रकट कर दी तथा पटवारी ने अपने स्तर से आवेदन तैयार कर उस पर अपीलांटगण के निशान अंगुष्ट करा दिया तथा यह बताया कि नक्शे में रंग मौके की पैमाईश करने पर अंकित किया जायेगा। उसके बाद विभाजन का आदेश कब पारित हुआ तथा राजस्व रेकर्ड मे कब अंकन हुआ इसकी अपीलांटगण को कोई जानकारी नही हुई। लगभग एक सप्ताह पूर्व अपीलांटगण के द्वारा अपने खेत की विभाजन के अनुसार पैमाईश करवाने के लिये नक्शा प्राप्त किया तो मालुम हुआ कि अपीलान्ट संख्या 01 के खेत में अपीलान्ट संख्या 02 आ रहा है और कब्जा–काश्त पुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जिस तरह पक्षकारान का कब्जा है उस तरह से आरजी का विभाजन नही हुआ है और अपीलान्ट की रहवासी व कब्जा–काश्त की ढाणी जो प्रभावित हो रहा है और एक दुसरे के कब्जे में आ रही है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व रेस्पोडेंट संख्या 1 ने मौका कब्जा की जांच नहीं किया गया तथा राजस्व रेकर्ड व मौके की स्थिति में भिन्नता होने से उक्त आलोच्य विभाजन आदेश बहाल रखते हुए पुनः नये सिरे से मौके की स्थिति अनुसार विभाजन करने का आदेश फरमावे।

5. अपीलांटगण के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि मूल ग्राम रामदेवरा व वर्तमान में राजस्व ग्राम पंवारों का सरा में खेत मूल खसरा संख्या 1, 5 को पक्षकारान के मध्य मौके पर पूर्व मे आपसी सहमति से किये विभाजन अनुसार काश्त करते है, जबकि इस अपीलाधीन विभाजन आदेश से उक्त खसरा जो मेल नहीं खाता है। अपीलांट संख्या 01 की आवासीय ढाणी जो वर्षों से बनी हुई है, वह ढाणी वाला भाग अपीलांट संख्या 02 के हिस्से में आ रही है। जबकि विभाजन इस तरह से किया जाना चाहिये ताकि पक्षकारान के वास्तविक कब्जे मे कम से कम परिवर्तन हो। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपीलांटगण की अशिक्षा तथा वृद्धावस्था का अनुचित लाभ उठा कर राजस्व कर्मचारियों ने एक पक्षीय विभाजन आदेश पारित कराया है और अपीलान्टगण की रहवासी ढाणी और और पानी के टाके आदि जो बड़ी मुश्किल से बनाया गया है जो मौके पर गलत बंटवाड़ा होने के दुसरे खातेदार के कब्जे में जा रहा हैं। उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करतें वक्त पटवारी के द्वारा मौके पर समपुर्ण रकबे का नाप नहीं किया गया था और पक्षकारान की ढाणिया व मौके पर बनी हुई बाड़ व कब्जे काश्त का नजरी नक्शा नही बनाया गया और न ही बाद में सही नाप करके कोई नक्शा तैयार किया गया था। उक्त विभाजन प्रस्ताव में अपीलान्ट के खेत

जिला कलक्टर
बालोतरा

मौके पर दो भाग में विभक्त है, जिसमें एक का रकबा दुसरे के रकबे के अनुसार कम ज्यादा मौके पर है। उसी के अनुरूप हल्का कर्मचारियों द्वारा बंटवाड़े की तरमीम नहीं किये जाने से उक्त विभाजन से बंटवाड़े का उद्धेश्य पूर्ण नहीं होने से उक्त आलोच्य विभाजन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। इस हेतु समस्त अपीलांटगण की सहमती पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित विभाजन आदेश क्रमांक/भू.अ./2021/667 दिनांक 08.11.2021 को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त माफिक बंटवाड़ा पुनः करवाना चाहते है। अतः राजस्व रेकर्ड व मौके की स्थिति में भिन्नता होने से उक्त आलोच्य विभाजन आदेश बहाल रखते हुए पुनः नये सिरे से मौके की स्थिति अनुसार विभाजन करने का आदेश फरमावे।

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 से आलोच्य मूल अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया गया।

7. हमने अपीलांटगण के अधिवक्ता की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांटगण द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि मौजा रामदेवरा वर्तमान राजस्व ग्राम पंवारो का सरा, पटवार हल्का पायलां खुर्द, तहसील–सिणधरी के खेत मूल खसरा संख्या 1 व 5 वर्तमान खसरा संख्या 200/5 रकबा 0.9829 बीघा, 201/5 रकबा 0.9829 बीघा, 202/5 रकबा 0.324 बीघा तथा खसरा संख्या 203/1 रकबा 0.4611, 202/5 रकबा 0.4612 बीघा के खातेदारान अपीलांटगण ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.11.2024 को तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सहखातेदारों की संयुक्त एंड पैतृक भूमि हैं। इस पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक/भू.अ./2021/667 दिनांक 08.11.2021 पारित किया गया। चूंकि पक्षकारान की मुख्य आपत्ति है कि बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत हुआ है, जिसके कारण राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति का मिलान नहीं हो रहा है एवं पक्षकारान को अपुर्णीय क्षति हो रही है। कानून की मंशा है कि राजस्व

जिला कलक्टर
बालोतरा

रेकर्ड व मौका स्थिति समानान्तर होनी चाहिए, ताकि एकरूपता बनी रहें। उक्त अपीलाधीन भूमि के संबंध में समस्त पक्षकारान के सहमति के आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाकर मौके पर कब्जा काश्त स्थिति अनुसार खसरा संख्या 200/5, 201/5, 202/5, 203/1, 202/5 को पुनः बंटवाड़े हेतु रजामंद है तथा खसरा संख्या 67 को यथावथ रखे जाने हेतु सहमत है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार सिणधरी द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश आदेश क्रमांक/भू.अ./2021/667 दिनांक 08.11.2021 को अपास्त किया जाता है। लिहाजा प्रकरण तहसीलदार सिणधरी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि खसरा संख्या 67 को यथावत रखते हुए खसरा संख्या 200/5, 201/5, 202/5, 203/1, 202/5 की मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए एव पक्षकारों को सुनकर पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा